



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23062026-273736
CG-DL-W-23062026-273736

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मई 31—जून 6, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 10—ज्येष्ठ 16, 1948
No. 8] NEW DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 10—JYAISHTHA 16, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 56.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एपी-एलए/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में 166- चंद्रागिरि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश से उनके दिनांक 19.06.2025 के पत्र सं. 6397/Elecs.A/A2/2024-22 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपतिकी 04.06.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि, जो आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एसी/2024/सीईएमएस-II, दिनांक 11.02.2026 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम के 89 के अंतर्गत (6) नियम-उप, श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से भीतर जिला दिनों के 20 निर्वाचन अधिकारी, तिरुपति जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपति जिलाने अपनी रिपोर्ट सं. Roc.H1/12/2026; दिनांक 25.02.2026 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि को दिनांक 24.02.2026 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपति ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र सं. Roc.H1/12/2026; दिनांक 16.03.2026 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश के पत्र सं. 6397/Elecs.A/A2/2024-34 दिनांक 02.04.2026 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण यान्त्रायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला वधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थि अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री पी. वेंकट कृष्णा मूर्थी, निवासी- डी.नं. 3-59, चईगुरुवाडा, तिरुपति रुरल मण्डल, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एसी/2024/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 56.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2024 for **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AP-LA/2024, dated 18th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.06.2025 of the **District Election Officer, Tirupati** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the **Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh** vide his letter no. 6397/Elecs.A/A2/2024-22; dated 19.06.2025 stating that **Sh. P. Venkata Krishna Murthy**, a contesting candidate from **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh in General Election to Legislative Assembly, 2024 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Tirupati** a 'Show-Cause Notice' No. 76/AP-AC/2024/CEMS-II, dated 11.02.2026 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. P. Venkata Krishna Murthy**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. P. Venkata Krishna Murthy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tirupati** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tirupati** in his report no. Roc.H1/12/2026; dated 25.02.2026 has reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. P. Venkata Krishna Murthy** on 24.02.2026; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tirupati** in his Supplementary Report no. Roc.H1/12/2026; dated 16.03.2026 on account of candidate received through **Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh** letter No. 6397/Elecs.A/A2/2024-34; dated 02.04.2026 has reported that **Sh. P. Venkata Krishna Murthy** has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. P. Venkata Krishna Murthy** has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. P. Venkata Krishna Murthy** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. P. Venkata Krishna Murthy**, resident of **D. No. 3-59, Chiguruwada, Tirupati Rural Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh in General Election to Legislative Assembly, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-AC/2024/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 57.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एपी-एलए/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में 166- चंद्रागिरि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश से उनके दिनांक 19.06.2025 के पत्र सं. 6397/Elecs.A/A2/2024-22 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपतिकी 04.06.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीपी. श्रीधर, जो आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपतिकी उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीपी. श्रीधर को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एसी/2024/सीईएमएस-II, दिनांक 11.02.2026 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्रीपी. श्रीधर को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपति जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपतिजिलाने अपनी रिपोर्ट सं. Roc.H1/12/2026; दिनांक 25.02.2026 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीपी. श्रीधर को दिनांक 23.02.2026को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तिरुपतिने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र सं. Roc.H1/12/2026; दिनांक 16.03.2026द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश के पत्र सं. 6397/Elecs.A/A2/2024-34दिनांक 02.04.2026द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्रीपी. श्रीधर ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्रीपी. श्रीधर ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण यान्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है किश्रीपी. श्रीधर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि आंध्र प्रदेश के 166- चंद्रागिरि विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री पी. श्रीधर, निवासी- डी.नं. 1-27/ए, श्रीराम नगर, अक्करमपल्ली रोड, तिरुपति अर्बन, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. /76एपी-एसी/2024/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 57.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2024 for **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AP-LA/2024, dated 18th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.06.2025 of the **District Election Officer, Tirupati** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the **Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh** vide his letter no. 6397/Elecs.A/A2/2024-22; dated 19.06.2025 stating that **Sh. P. Sreedhar**, a contesting candidate from **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh in General Election to Legislative Assembly, 2024 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Tirupati** a 'Show-Cause Notice' No. 76/AP-AC/2024/CEMS-II, dated 11.02.2026 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. P. Sreedhar**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. P. Sreedhar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tirupati** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tirupati** in his report no. Roc.H1/12/2026; dated 25.02.2026 has reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. P. Sreedhar** on 23.02.2026; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tirupati** in his Supplementary Report no. Roc.H1/12/2026; dated 16.03.2026 on account of candidate received through **Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh** letter No. 6397/Elecs.A/A2/2024-34; dated 02.04.2026 has reported that **Sh. P. Sreedhar** has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. P. Sreedhar** has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. P. Sreedhar** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. P. Sreedhar**, resident of **D. No. 1-27/A, Sriram Nagar, Akkarampalli Road, Tirupati Urban, Tirupati District, Andhra Pradesh**, and a contesting candidate from **166-Chandragiri** Assembly Constituency of Andhra Pradesh in General Election to Legislative Assembly, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-AC/2024/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 58.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **3-नारायणढ़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला

निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखों की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 3-नारायणढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती सीमा देवी जो हरियाणा राज्य के 3-नारायणढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती सीमा देवी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखों प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती सीमा देवी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला से दिनांक 21.07.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/436 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्रीमती सीमा देवी को दिनांक 21.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/285 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती सीमा देवी ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्रीमती सीमा देवी ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती सीमा देवी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 3-नारायणढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाली अभ्यर्थी श्रीमती सीमा देवी, गांव जोगीवारा, डाकघर, लल्हारी कलां, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./3/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 58.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **3-Naraingarh** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **3-Naraingarh** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Ambala** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt.Seema Devi** a contesting candidate from **3-Naraingarh** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ambala** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt.Seema Devi** for not lodging of her account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt.Seema Devi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ambala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** vide his letter no. Elec-2025/436 dated 21.07.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Smt.Seema Devi**, on 21.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/285 dated 15.04.2026 has reported that **Smt.Seema Devi** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt.Seema Devi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt.Seema Devi** has failed to lodge account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt.Seema Devi, Village Jogiwara, P.O Lalhari Kalan, Tehsil Bilaspur, District Yamuna nagar,Haryana**, a contesting candidate for **3-Naraingarh Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/3/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ. अ. 59.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **4-अम्बाला छावनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **4-अम्बाला छावनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** की रिपोर्ट दिनांक **09.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्रीमती राज कौर गिल** जो हरियाणा राज्य के **4-अम्बाला छावनी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्रीमती राज कौर गिल** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्रीमती राज कौर गिल** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** से दिनांक 21.07.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/436 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्रीमती राज कौर गिल** के भतीजे (**नाम चिराग दीप**) को दिनांक 26.06.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बालाने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/285 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती राज कौर गिल ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, श्रीमती राज कौर गिल ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती राज कौर गिल अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 4-अम्बाला छावनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाली अभ्यर्थी श्रीमती राज कौर गिल, म.नं. 209, शक्ति नगर, 07 रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./4/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 59.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Ambala** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Raj Kaur Gill** a contesting candidate from **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ambala** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt.Raj Kaur Gill** for not lodging of her account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt.Raj Kaur Gill** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ambala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** vide his letter no. Elec-2025/436 dated 21.07.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Smt.Raj Kaur Gill's Nephew (name Chiragdeep)**, on 26.06.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/285 dated 15.04.2026 has reported that **Smt.Raj Kaur Gill** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt.Raj Kaur Gill** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt.Raj Kaur Gill** has failed to lodge account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Raj Kaur Gill, H.No. 209, Shakti Nagar, 07, Ratia, Fatehabad, Haryana**, a contesting candidate for **4-Ambala Cantt Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/4/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 60.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं० 464/भा०नि०आ०/हरि०-वि०स०/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **4-अम्बाला छावनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **4-अम्बाला छावनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री जसविन्दर गोलू जो हरियाणा राज्य के 4-अम्बाला छावनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री जसविन्दर गोलू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री जसविन्दर गोलू को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला से दिनांक 21.07.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/436 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री जसविन्दर गोलू को दिनांक 02.06.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/285 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री जसविन्दर गोलू ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री जसविन्दर गोलू ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जसविन्दर गोलू अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 4-अम्बाला छावनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जसविन्दर गोलू, म.नं. 66-बी, सत्संग विहार, बी.डी. फ्लोर मिल, अम्बाला छावनी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./4/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 60.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Ambala** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jaswinder Golu** a contesting candidate from **4-Ambala Cantt** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ambala** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jaswinder Golu** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jaswinder Golu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ambala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** vide his letter no. Elec-2025/436 dated 21.07.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Jaswinder Golu**, on 02.06.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/285 dated 15.04.2026 has reported that **Sh. Jaswinder Golu** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Jaswinder Golu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Jaswinder Golu** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jaswinder Golu, H.No. 66-B, Satsang Vihar, B.D. Flour Mill, Ambala Cantt, Haryana**, a contesting candidate for **4-Ambala Cantt Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/4/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 61.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **5-अम्बाला शहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **5-अम्बाला शहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की रिपोर्ट दिनांक **09.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री केतन शर्मा** जो हरियाणा राज्य के **5-अम्बाला शहर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री केतन शर्मा** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री केतन शर्मा** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला से दिनांक 21.07.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/436 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री केतन शर्मा** के पिता जी को दिनांक 12.06.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/285 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री केतन शर्मा** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री केतन शर्मा** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचनआयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री केतन शर्मा अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 5-अम्बाला शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री केतन शर्मा, म.नं. 1277/27, कैथ माजरी, अम्बाला शहर, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./5/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 61.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **5-Ambala City** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **5-Ambala City** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Ambala** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ketan Sharma** a contesting candidate from **5-Ambala City** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ambala** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ketan Sharma** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ketan Sharma** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ambala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** vide his letter no. Elec-2025/436 dated 21.07.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Ketan Sharma's Father**, on 12.06.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/285 dated 15.04.2026 has reported that **Sh. Ketan Sharma** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ketan Sharma** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ketan Sharma** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ketan Sharma, H.No. 1277/27, Kaith Majri, Ambala City, Haryana**, a contesting candidate for **5-Ambala City Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/5/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 62.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **6-मुलाना (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **6-मुलाना (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** की रिपोर्ट दिनांक **09.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री प्रीतम सिंह** जो हरियाणा राज्य के **6-मुलाना (अ.जा.)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री प्रीतम सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री प्रीतम सिंह** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अम्बाला** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला से दिनांक 21.07.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/436 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिसविधिवत रूप से श्री प्रीतम सिंह को दिनांक 26.06.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बाला ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/285 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री प्रीतम सिंह ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री प्रीतम सिंह ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रीतम सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 6-मुलाना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री प्रीतम सिंह, गांव जोगी माजरा, डाक0 जंघेड़ी, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./6/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 62.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **6-Mulana (SC)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **6-Mulana (SC)** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Ambala** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pritam Singh** a contesting candidate from **6-Mulana (SC)** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ambala** a Show-Cause notice No. 76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pritam Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pritam Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ambala** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** vide his letter no. Elec-2025/436 dated 21.07.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Pritam Singh**, on 26.06.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ambala** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/285 dated 15.04.2026 has reported that **Sh. Pritam Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Pritam Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pritam Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pritam Singh, Village Jogi Majra P.O Jandheri, Distt. Kurukshetra, Haryana**, a contesting candidate for **6-Mulana (SC) Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/6/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 63.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **54-लोहारू** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **54-लोहारू** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन

अधिकारी, भिवानी की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री राजबीर पुत्र बेगराज जो हरियाणा राज्य के 54-लोहारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राजबीर पुत्र बेगराज को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री राजबीर पुत्र बेगराज को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री राजबीर पुत्र बेगराज को दिनांक 14.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजबीर पुत्र बेगराज ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री राजबीर पुत्र बेगराज ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजबीर पुत्र बेगराज अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 54-लोहारू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजबीर पुत्र बेगराज, गांव व डा0 - हरियावास, तहसील - लोहारू, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./54/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 63.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **54-Loharu** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **54-Loharu** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajbir S/o Begraj** a contesting candidate from **54-Loharu** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rajbir S/o Begraj** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajbir S/o Begraj** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Rajbir S/o Begraj**, on 14.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Rajbir S/o Begraj** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Rajbir S/o Begraj** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rajbir S/o Begraj** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajbir S/o Begraj, VPO Hariyawas, Tehsil-Loharu, Haryana**, a contesting candidate for **54-Loharu Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/54/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 64.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **54-लोहारू** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **54-लोहारू** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री संदीप संजय बल्हारा** जो हरियाणा राज्य के **54-लोहारू** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री संदीप संजय बल्हारा** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री संदीप संजय बल्हारा** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** से दिनांक 10.06.2025के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिसविधिवत रूप से **श्री संदीप संजय बल्हारा** को दिनांक 10.05.2025को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री संदीप संजय बल्हारा** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री संदीप संजय बल्हारा** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखाउस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचनआयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वाराउसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संदीप संजय बल्हारा अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 54-लोहारू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री संदीप संजय बल्हारा, गांव – ढाणी बल्हारा, तहसील - सिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./54/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 64.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **54-Loharu** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **54-Loharu** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** a contesting candidate from **54-Loharu** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Sandeep Sanjay Balhara**, on 10.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sandeep Sanjay Balhara** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sandeep Sanjay Balhara, Village-Dhani Balara, Tehsil-Siwani, Haryana**, a contesting candidate for **54-Loharu Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/54/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 65.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री आनन्द कुमार** जो हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री आनन्द कुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि./वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री आनन्द कुमार को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री आनन्द कुमार को दिनांक 10.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री आनन्द कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री आनन्द कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आनन्द कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 57-भिवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री आनन्द कुमार, वार्ड नं. 13, कोंट रोड़, भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./57/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 65.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for 57-Bhiwani Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election

Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **57-Bhiwani** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anand Kumar** a contesting candidate from **57-Bhiwani** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anand Kumar** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anand Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Anand Kumar**, on 10.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Anand Kumar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Anand Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Anand Kumar** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anand Kumar, Ward No. 13, Kaunt Road, Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **57-Bhiwani Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/57/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 66.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं० 464/भा०नि०आ०/हरि०-वि०स०/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 57-भिवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री पंकज तायल जो हरियाणा राज्य के 57-भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री पंकज तायल को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री पंकज तायल को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री पंकज तायल को दिनांक 09.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री पंकज तायल ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री पंकज तायल ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पंकज तायल अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 57-भिवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री पंकज तायल, शिव मंदिर के सामने, लोहड़ बाजार, भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./57/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 66.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **57-Bhiwani** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **57-Bhiwani** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pankaj Tayal** a contesting candidate from **57-Bhiwani** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pankaj Tayal** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pankaj Tayal** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Pankaj Tayal**, on 09.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Pankaj Tayal** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Pankaj Tayal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pankaj Tayal** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pankaj Tayal, Opp. Shiv Mandir, Lohar Bazar, Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **57-Bhiwani Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/57/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 67.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं० 464/भा०नि०आ०/हरि०-वि०स०/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं० 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री राजीव** जो हरियाणा राज्य के **57-भिवानी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री राजीव** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री राजीव** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं०- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री राजीव** की माता (**श्रीमती कमला**) को दिनांक 09.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानीने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजीव ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री राजीवने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजीव अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10कके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 57-भिवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री राजीव, गांव नांगल-मानेहरू, तहसील व जिला भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./57/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 67.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for 57-Bhiwani Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for 57-Bhiwani Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on 8th October, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 7th November, 2024; and

WHEREAS, as per the report submitted by DEO, Bhiwani report dated 08.11.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajeev** a contesting candidate from 57-Bhiwani Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Bhiwani a Show-Cause notice No. 76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rajeev** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajeev** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Rajeev's mother (name Smt. Kamala)**, on 09.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Rajeev** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Rajeev** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rajeev** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajeev, Vill. Nangal, Manheru Teh. & Distt. Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **57-Bhiwani Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/57/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 68.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **विजेन्द्र सिंह** जो

हरियाणा राज्य के 58-तोशाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपनेनिर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री विजेन्द्र सिंह को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री विजेन्द्र सिंह कोलेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री विजेन्द्र सिंह को दिनांक 12.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री विजेन्द्र सिंह ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री विजेन्द्र सिंह ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विजेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 58-तोशाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री विजेन्द्र सिंह, गांव व डाकघर, हेतमपुरा, तहसील व जिला भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./58/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 68.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **58-Tosham** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **58-Tosham** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vijender Singh** a contesting candidate from **58-Tosham** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vijender Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vijender Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Vijender Singh**, on 12.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Vijender Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Vijender Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vijender Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vijender Singh, VPO Hetampura, Tehsil and District Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **58-Tosham Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/58/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 69.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री सुभाष चन्द्र** जो हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सुभाष चन्द्र** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री सुभाष चन्द्र** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** से दिनांक 10.06.2025के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री सुभाष चन्द्र** को दिनांक 14.05.2025को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री सुभाष चन्द्र** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री सुभाष चन्द्र** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखाउस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचनआयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष चन्द्र अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10कके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 58-तोशाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सुभाष चन्द्र, 627 बी, गाँव व डाकघर खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी (127040), हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./58/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 69.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **58-Tosham** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **58-Tosham** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Subhash Chander** a contesting candidate from **58-Tosham** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Subhash Chander** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Subhash Chander** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Subhash Chander**, on 14.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Subhash Chander** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Subhash Chander** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Subhash Chander** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Subhash Chander, 627 B, VPO Khanak, Tehsil Tosham, District Bhiwani(127040), Haryana**, a contesting candidate for **58-Tosham Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/58/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 70.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री दलजीत सिंह** जो हरियाणा राज्य के **58-तोशाम** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री दलजीत सिंह को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री दलजीत सिंह को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री दलजीत सिंह के बेटे (सरवर सिंह) को दिनांक 08.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री दलजीत सिंह ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री दलजीत सिंह ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दलजीत सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 58-तोशाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री दलजीत सिंह, 51 तालू, तहसील व जिला भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./58/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 70.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **58-Tosham** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **58-Tosham** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Daljeet Singh** a contesting candidate from **58-Tosham** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Daljeet Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Daljeet Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Daljeet Singh's son (name Sarvar Singh)**, on 08.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Daljeet Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Daljeet Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Daljeet Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Daljeet Singh, 51 Talu, Tehsil and District Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **58-Tosham Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/58/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 71.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 कापरिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री सन्दीप सिंह जनागल** जो हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सन्दीप सिंह जनागल** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री सन्दीप सिंह जनागल** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री सन्दीप सिंह जनागल** की पत्नी को दिनांक 10.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री सन्दीप सिंह जनागल** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री सन्दीप सिंह जनागल** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदिनिर्वाचनआयोगकासमाधानहोजाताहैकि कोईव्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचनआयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सन्दीप सिंह जनागल अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 59-बवानीखेड़ा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सन्दीप सिंह जनागल, गांव चांग, वार्ड नं० 2, तहसील बजिला भिवानी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./59/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 71.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Singh Janagala** contesting candidate from **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sandeep Singh Janagala** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Singh Janagala** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Sandeep Singh Janagala's wife**, on 10.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Sh. Sandeep Singh Janagal** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sandeep Singh Janagal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sandeep Singh Janagal** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sandeep Singh Janagal, VPO Chang Ward no.2, Tehsil and District Bhiwani, Haryana**, a contesting candidate for **59-Bawani Khara (SC) Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/59/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

आ.अ. 72.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **भिवानी** की रिपोर्ट दिनांक **08.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्रीमती मन्जू धानक** जो हरियाणा राज्य के **59-बवानीखेड़ा (अ.जा.)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती मन्जू धानक को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती मन्जू धानक को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/621 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिसविधिवत रूप से श्रीमती मन्जू धानक के जेठ (श्री वीरभान) को दिनांक 11.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भिवानी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/437 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती मन्जू धानक ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्रीमती मन्जू धानक ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मन्जू धानक अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 59-बवानीखेड़ा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाली अभ्यर्थी श्रीमती मन्जू धानक, प्रेमनगर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./59/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

O.N. 72.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Bhiwani** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Manju Dhanaka** contesting candidate from **59-Bawani Khera (SC)** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Bhiwani** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Manju Dhanak** for not lodging of her account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Manju Dhanak** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Bhiwani** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** vide his letter no. Elec-2025/621 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Smt. Manju Dhanak's Brother-in-law**, on 11.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bhiwani** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/437 dated 03.04.2026 has reported that **Smt. Manju Dhanak** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Manju Dhanak** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Manju Dhanak** has failed to lodge account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Manju Dhanak, Prem Nagar, Tehsil Hansi, District Hisar, Haryana**, a contesting candidate for **59-Bawani Khera (SC) Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/59/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.